

बिहार सरकार
 अभियोजन निदेशालय
 गृह विभाग
 ऑफिसर्स फ्लैट सं० V-5, न्यू पुनाईचक पटना

प्रेषक,

आनन्द किशोर, भा० प्र० सं०

निदेशक, अभियोजन
 बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
 समस्तीपुर एवं बक्सर।

पटना, दिनांक 6.2.17

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2014 न्याय प्रशासन, उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-114 विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउंसिल) उपशीर्ष-0004 अभियोजन निदेशालय, मांग सं०-22 विपत्र कोड-N2014001140004 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय हेतु उपबंधित राशि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में कुल राशि 3,57,250/- (तीन लाख सतावन हजार दो सौ पचास रुपये मात्र) का आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग बिहार, पटना के पत्रांक एम०-04-09/2014, 2793 दिनांक 04.04.2016 एवं पत्रांक 423 दिनांक 31.03.2016 के आलोक में जिला अभियोजन कार्यालय, समस्तीपुर को वित्तीय वर्ष 2016-17 में माह मार्च, 2017 तक व्यय हेतु मुख्यशीर्ष 2014 न्याय प्रशासन, उप मुख्य शीर्ष -00 लघु शीर्ष- 114 विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउंसिल) उप शीर्ष-0004 अभियोजन निदेशालय, मांग सं०- 22 विपत्र कोड-N2014001140004 के अन्तर्गत प्राप्त बजट उपबंध से चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद (06 01) में निम्न राशि आवंटित की जाती है:-

| क्र० | जिला का नाम | 06-01-चिकित्सा प्रतिपूर्ति | | | अभिवृत्ति |
|------|-------------|----------------------------|------------------|------------|--|
| | | पूर्व का आवंटन | वर्तमान का आवंटन | कुल आवंटन | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | समस्तीपुर | - | 3,45,250/- | 3,45,250/- | स्व० कचन कुमार सिन्हा, पूर्व लिपिक सह टंकक जिला अभियोजन कार्यालय, समस्तीपुर के चिकित्सा पर हुए व्यय राशि की प्रतिपूर्ति हेतु |
| 2 | बक्सर | - | 12,000/- | 12,000/- | - |
| योग | | | 3,57,250/- | 3,57,250/- | |

कुल 3,57,250/- (तीन लाख सतावन हजार दो सौ पचास रुपये मात्र)

2. आवंटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाए रखने हेतु वित्त विभाग के ज्ञापक संख्या 2561/वि(2) दिनांक 17.04.98 के कड़िका 8, 7, 8, 9, 10 एवं 11 का अनुपालन करना अक्षरशः सुनिश्चित किया जाए।

3. किसी भी प्रकार के अनियमित अर्थ, निम्न वेतन एवं बंधन निम्नलिखित जिले निम्नलिखित एवं व्यय पदाधिकारी, पूर्वतः उत्तरदायी होंगे। अनुरोध राशि की निम्नलिखित से पूर्व निम्नलिखित एवं व्यय पदाधिकारी द्वारा इस बात की जांच कर ली जाएगी कि राशि की निम्नलिखित निम्न निम्नलिखित एवं व्यय पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र में उल्लेखित अवधान के अनुसंधान को दी गई है।

(हस्ताक्षर)

4. आवंटित राशि का संधारण आवंटन पर्ची में किया जायेगा।
5. आवंटन आदेश <http://home.bih.nic.in> पर देखा जा सकता है।
6. व्यय विवरणी प्रत्येक माह के 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।

Sm प्रमुख मन्त्रि

विश्वासभाजन
निदेशक, अभियोजन
बिहार, पटना।

ज्ञापांक..... 76 /
ओ नो (03)-02 / 2016 (आवंटन)

दिनांक 6-2-17 /

प्रतिलिपि-

1. महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
3. उप सचिव, गृह (आ0) विभाग, (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. आई0 टी0 मैनेजर, गृह विभाग को <http://home.bih.nic.in> पर Upload करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
6. जिला अभियोजन पदाधिकारी, समस्तीपुर एवं बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

Sm प्रमुख मन्त्रि

निदेशक, अभियोजन
बिहार, पटना।